



बिहार सरकार
(पर्यावरण एवं वन विभाग)
कार्यालय : प्रधान मुख्य वन संरक्षक, बिहार
(कैम्पा एवं वन संरक्षण संभाग)

संख्या-FC-1008

प्रेषक,

ए०के०पाण्डेय, भा०व०से०
अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (कैम्पा)
-सह-नोडल पदाधिकारी (वन संरक्षण),
बिहार, पटना।

सेवा में,

वन प्रमंडल पदाधिकारी,
सारण वन प्रमंडल, छपरा।

✓ श्रीमति शिल्पा,
पति- श्री नृपेन्द्र कुमार सिंह,
ग्राम+पो०- इसरौली,
थाना-मढौरा, जिला-सारण।

पटना 14, दिनांक- 05/10/2017

विषय- सारण जिलान्तर्गत खैरा- मढौड़ा पथ के किनारे IOCL का (किसान सेवा केन्द्र) रिटेल आउटलेट स्थापित करने हेतु वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के तहत कुल 0.0244 हे० वन भूमि अपयोजन प्रस्ताव पर सैद्धान्तिक स्वीकृति (Stage - I Approval) में अधिरोपित शर्तों का अनुपालन प्रतिवेदन समर्पित करने के संबंध में।

प्रसंग- पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के रॉची स्थित क्षेत्रीय कार्यालय के पत्रांक FP/BR/Others/18744/2016/1530 दिनांक 26.09.2017 (छायाप्रति संलग्न)

महाशय,

उपर्युक्त विषयक श्रीमति शिल्पा द्वारा सारण जिलान्तर्गत खैरा- मढौड़ा पथ के किनारे IOCL का (किसान सेवा केन्द्र) रिटेल आउटलेट स्थापित करने हेतु वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के तहत कुल 0.0244 हे० वन भूमि अपयोजन प्रस्ताव पर प्रसंगाधीन पत्र के माध्यम से कुल 14 (चौदह) अधिरोपित शर्तों के साथ सैद्धान्तिक स्वीकृति (Stage- I Approval) प्रदान की गयी है।

2. अपयोजित होने वाली वन भूमि कुल- 0.0244 हेक्टेयर के लिए NPV की राशि 6.26 लाख रुपये प्रति हेक्टेयर के दर से कुल रु० 15,275/- (पंद्रह हजार दो सौ पचहत्तर रुपये) मात्र प्रयोक्ता एजेन्सी विभाग को उपलब्ध कराएगी।

3. वन प्रमंडल पदाधिकारी, सारण वन प्रमंडल, छपरा के द्वारा पूर्व प्रेषित प्राक्कलन (50 पौधे के रोपण 10 वर्षों के सम्पोषण के साथ) को प्रधान मुख्य वन संरक्षक (विकास), बिहार द्वारा निर्धारित दर एवं रु० 242 प्रति मानव दिवस के दर पर संशोधित करते हुए प्रयोक्ता एजेन्सी को राशि जमा करने हेतु उपलब्ध कराया जाय एवं इसकी प्रति इस कार्यालय को दी जाय।

4. प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा उपर्युक्त कंडिका 2 एवं 3 की राशि को Ad-hoc Body Compensatory Afforestation Fund Management and Planning Authority (CAMPA) in A/C Name CAF Bihar of A/C No. SB01025201 in Corporation Bank CGO, Complex, Phase-1, लोदी रोड, नई दिल्ली 110003 (IFSC No. CORP0000371) के खाता में जमा करने हेतु विभागीय वेबसाइट—forestsclearance.nic.in से सर्वप्रथम e-challan Generate कर Download किया जायेगा।

5. Downloaded e-challan के माध्यम से बैंक द्वारा राशि हस्तान्तरित करने के उपरांत इसकी सूचना प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा इस कार्यालय को UTR No. एवं दिनांक के साथ मूलप्रति उपलब्ध करायी जायेगी।

उपर्युक्त के अतिरिक्त प्रसंगाधीन पत्र में उल्लेखित कंडिका 01 से 14 तक में अधिरोपित शर्तों का पूर्ण अनुपालन प्रतिवेदन प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा इस कार्यालय को समर्पित करने की कृपा की जाय, ताकि भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के रॉची स्थित क्षेत्रीय कार्यालय से विषयाधीन मामले पर अन्तिम स्वीकृति (Stage- II Clearance) प्राप्त करने की कार्रवाई की जा सके।

अनु०—यथोक्त।

विश्वासभाजन

(ए०के०पाण्डेय)

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (कैम्पा)
—सह—नोडल पदाधिकारी (वन संरक्षण),
बिहार, पटना।



कार्यालय वन प्रमंडल पदाधिकारी
सारण वन प्रमंडल
छपरा, बिहार . 841 301

पत्रांक : 1381

दिनांक : 13-10-2017

प्रेषक,

लक्ष्मण पण्डित,
वन प्रमंडल पदाधिकारी,
सारण वन प्रमंडल, छपरा।

सेवा में,

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (कैम्पा),
—सह-नोडल पदाधिकारी (वन संरक्षण)
बिहार, पटना।

विषय:-

श्रीमती यिल्पा द्वारा सारण जिलांतर्गत खैरा-मढ़ौरा पथ के किनारे IOCL का (किसान सेवा केन्द्र) रिटेल आउटलेट स्थापित करने हेतु वन (संरक्षण) अधिनियम 1980 के तहत कुल 0.0244 हे० वन भूमि अपयोजन प्रस्ताव पर सैद्धांतिक स्वीकृति (stage- I Approval) में अधिरोपित शर्तों का अनुपालन प्रतिवेदन समर्पित करने के संबंध में।

प्रसंग:-

भवदीय पत्रांक 1008 दिनांक 05.10.2017

महाशय,

उपर्युक्त विषयक प्रसंग से संबंधित 50 लौह गौवियन वृक्षारोपण का प्राक्कलन दस वर्षों के सम्पोषण सहित अद्यतन मजदूरी दर 242 रु० प्रति मानव दिवस के आधार पर तैयार कर अग्रेतर कार्रवाई हेतु इस पत्र के साथ संलग्न समर्पित की जाती है।

अनु०-यथोक्त

विश्वासभाजन,

वन प्रमंडल पदाधिकारी,
सारण वन प्रमंडल, छपरा।

ज्ञापक 1381 दिनांक 13-10-17

प्रतिलिपि:- श्रीमती शिल्पा, पति श्री नृपेन्द्र कुमार सिंह, +पा० इसरौली थाना मढ़ौरा को राशि जमा करने हेतु प्राक्कलन की प्रति के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित। जमा राशि की सूचना इस कार्यालय को भी उपलब्ध कराया जाय।

अनु०-यथोक्त

वन प्रमंडल पदाधिकारी
सारण वन प्रमंडल, छपरा।

Compensatory Afforestation scheme for Petrol, CNG Forest Clearance proposal

Division-Saran Forest Division,Chhapra	Name of Applicant:
District-Chapra	MST. SHILPA W/O NRIPENDRA KUMAR, Vill+Po.- Israuli, Ps.- Marhowrah, Chapra, Saran
Range- Mashrak	Name of Petrol/CNG company:
No. of Iron gabion: 50	INDIAN OIL CORPORATION LIMITED
No. of Plants: 50	GPS reading: N 25° 55' 174" E 84° 48' 744"
Wage rate Rs. 247.00	N 250 55' 162" E 840 48' 736"

अग्रिम सह समापन कार्य

Item no	कार्य	इकाई	Rate (Rs)	Revised rate (Rs)	कुल व्यय
5.1	5' x 20" (जमीन के उपर) आकार का लौह गैबियन का निर्माण एवं आपूर्ति संलग्न विवरणी में दिये गये Specification के अनुसार	प्रति गैबियन	1941.00	2730.00	136500.00
5.3	लौह गैबियन को वृक्षरोपण स्थल तक ढुलाई कर उसे RCC के द्वारा जमीन में fix करना।	प्रति गैबियन	299.00	513.00	25650.00
5.5	मृदा कार्य- आकार-0.45मी0x0.45मी0x0.45मी0 (क) सामान्य मृदा	प्रति गड्ढा	8.00	13.00	650.00
9.2	पौधा रोपण	प्रति पौधा		0.1 MD	1235.00
9.2.1	ढुलाई एवं कीटनाशक का क्रय	प्रति पौधा		50.00	2500.00
9.2.4	पौधों का क्रय 6' से उपर का	प्रति पौधा		150.00	7500.00
9.2.2	पटवन (एक आदमी 242 x 8 माह)कोड़नी एवं मृत पौधों का बदलाव	प्रति पौधा		1.4 MD	17290.00
5.7.3	मृत पौधों का प्रतिस्थापन (20 प्रतिशत पौधों तक सीमित)	प्रति पौधा		150.00	1500.00
9.4	रोपण कार्य पानी पटवन जुलाई से मार्च तक (एक बार में 20 लीटर पानी)	प्रति पौधा		0.5 MD	6175.00
5.9	विविध कार्य (साईन बोर्ड एवं छायाकन)	प्रति पौधा	80.00	137.20	6860.00
				कुल	205860.00
प्रथम वर्ष सम्पोषण					
5.10	प्रथम वर्ष सम्पोषण (दो कोड़नी निकौनी एवं सुरक्षा सहित)	प्रति पौधा	50.00	86.00	4300.00
				प्रथम वर्ष कुल 10 % वृद्धि के साथ कुल	4730.00
द्वितीय वर्ष सम्पोषण					
5.11	द्वितीय वर्ष सम्पोषण (दो कोड़नी निकौनी एवं सुरक्षा सहित)	प्रति पौधा	50.00	86.00	4300.00
5.12	द्वितीय सम्पोषण वर्ष में गैबियन का रंगाई	प्रति गैबियन	50.00	86.00	4300.00
5.7.3/9.2.4	मृत पौधों का प्रतिस्थापन (20 प्रतिशत पौधों तक सीमित)	प्रति पौधा	150.00		1500.00
				द्वितीय वर्ष कुल 20 % वृद्धि के साथ कुल	12120.00
तृतीय वर्ष सम्पोषण					
5.11	तृतीय वर्ष सम्पोषण	प्रति वृक्षरोपण			1000.00
5.7.3/9.2.4	मृत पौधों का प्रतिस्थापन (20 प्रतिशत पौधों तक सीमित)	प्रति पौधा	150.00		1500.00
				तृतीय वर्ष कुल 30 % वृद्धि के साथ कुल	3250.00
चतुर्थ वर्ष सम्पोषण					
5.11	चतुर्थ वर्ष सम्पोषण	प्रति वृक्षरोपण			1000.00
5.12	गैबियन का रंगाई	प्रति गैबियन	50.00	86.00	4300.00
5.7.3	मृत पौधों का प्रतिस्थापन (20 प्रतिशत पौधों तक सीमित)	प्रति पौधा		150.00	1500.00
				चतुर्थ वर्ष कुल 40 % वृद्धि के साथ कुल	9520.00

१ वर्ष सम्पोषण					
5.11	पंचम वर्ष सम्पोषण	प्रति वृक्षरोपण			1000.00
				पंचम वर्ष कुल 50 % वृद्धि के साथ कुल	1500.00
सष्ठम वर्ष सम्पोषण					
5.11	सष्ठम वर्ष सम्पोषण	प्रति वृक्षरोपण			1000.00
5.12	गैबियन का रंगाई	प्रति गैबियन	50.00	86.00	4300.00
				सष्ठम वर्ष कुल 60 % वृद्धि के साथ कुल	8480.00
ससतम वर्ष सम्पोषण					
5.11	ससतम वर्ष सम्पोषण	प्रति वृक्षरोपण			1000.00
				ससतम वर्ष कुल 70 % वृद्धि के साथ कुल	1700.00
अष्ठम वर्ष सम्पोषण					
5.11	अष्ठम वर्ष सम्पोषण	प्रति वृक्षरोपण			1000.00
5.12	गैबियन का रंगाई	प्रति गैबियन	50.00	86.00	4300.00
				अष्ठम वर्ष कुल 80 % वृद्धि के साथ कुल	9540.00
नवम वर्ष सम्पोषण					
5.11	नवम वर्ष सम्पोषण	प्रति वृक्षरोपण			1000.00
				नवम वर्ष कुल 90 % वृद्धि के साथ कुल	1900.00
दशम वर्ष सम्पोषण					
5.11	दशम वर्ष सम्पोषण	प्रति वृक्षरोपण			1000.00
5.12	गैबियन का रंगाई	प्रति गैबियन	50.00	86.00	4300.00
				दशम वर्ष कुल 100 % वृद्धि के साथ कुल	10600.00

1	अग्रिम सह समापन कार्य				205860.00
2	प्रथम वर्ष सम्पोषण कार्य				4730.00
3	द्वितीय वर्ष सम्पोषण कार्य				12120.00
4	तृतीय वर्ष सम्पोषण कार्य				3250.00
5	चतुर्थ वर्ष सम्पोषण कार्य				9520.00
6	पंचम वर्ष सम्पोषण कार्य				1500.00
7	सष्ठम वर्ष सम्पोषण कार्य				8480.00
8	ससतम वर्ष सम्पोषण कार्य				1700.00
9	अष्ठम वर्ष सम्पोषण कार्य				9540.00
10	नवम वर्ष सम्पोषण कार्य				1900.00
11	दशम वर्ष सम्पोषण कार्य				10600.00
					269200.00

(Rupees Two Lakh Sixty Nine thousand Two hundred Only)

वन प्रमंडल पदाधिकारी,
सारण वन प्रमंडल, छपरा